संख्या-25 6626-25-1-24-307-001/2025/ sp--95t.c.

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
उप सचिव,
उशासन। 0प्र0

सेवा में,

सचिव,
उविद्युत नियामक आयोग 0प्र0,
विद्युत नियामक भवन, निकट मंत्री भवन,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:-उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि को राजकोष में समर्पित अंकित करते हुए उसे ग्राण्ट के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या/0प्र0नि0नि/234-ऊर्जा, दिनांक 0प्र0जिसके अनुसार उ 27.11.2000 तथा विधिवत रूप सेविद्युत नियामक आयोग द्वारा आरोपित फीस एवं फाइन्सप्राप्त अन्य धनराशि को मार्च 31, कृत किया जाना है धनराशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीतक राजकोष में समर्पित करते हुए समतुल्य 2025, के संदर्भ में उ/0सी0आर0ई0पी0यू-विद्युत नियामक आयोग के पत्र संख्या 0प्र0लेखा1704-2025/बजट/, दिनांक 11 मार्च, द्वारा 2025आरोपित फीस एवं फाइन्स तथा विधिवत रूप से प्राप्त अन्य धनराशि के एवज में उ 0प्र0 यक के मतदेय मद में प्राविधानित व्य-के मूल आय 25-2024 य वर्षविद्युत नियामक आयोग के लिए वित्ती) -/17,68,09,000 धनराशि रूपयेरूपये सत्रह करोड़ अढ़सठ लाख नौ हजार मात्रकी राज्य (पाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते प्रतिबन्धों /

(1) उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2025 तक कुल रूपये 50,55,84,090/- (रूपये पचास करोड़ पचपन लाख चौरासी हजार नब्बें मात्र) की धनराशि वसूल की गयी है। उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रूपये 17,68,09,000/- (रूपये सत्रह करोड़ सड़सठ लाख नौ हजार मात्र) मतदेय मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा आयोग द्वारा एकत्र की गयी अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2025 तक राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त धनराशि का आहरण नगद नहीं किया जायेगा, वरन पुस्तक समायोजन द्वारा समतुल्य धनराशि प्राप्ति लेखा शीर्षक-"0043-विद्युत कर तथा शुल्क-800-अन्य प्राप्तियाँ-01-विद्युत नियामक आयोग से प्राप्त फीस एवं फाइन्स आदि" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,68,09,000 (रुपये सत्रह करोड़ अड़सठ लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 009 **लेखा शीर्षक** 2045001030400 उ.प्र.इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गठन हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-132-X-2024-25-दिनांक:27-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।

संख्या-25/2025/001-307(1)-24-1-25-6626 sp-95-t.c., तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभंजन यादव
उप सचिव।